

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर अहमद हुक्म रीर में
13.11.19	<p>पत्रावली आद्य पेश हुई।                      जमीन अधिपति द्वारा अफिलिगन की तस्वीर                      हेतु फर्द तलबाना मरफर पेश नहीं किया गया।                      किंतु जमीन अधिपति को हिदायत दी जाती है कि                      वह फर्द तलबाना को काले पेपर पर फारी हो।                      तिलतारीख 19.11.19 को पेश हो।</p>	<p>रहायक कलेक्टर,                      जसवन्तपुरा                      जिला-जालौर (राज.)</p>
19.11.19	<p>पत्रावली आज पेश हुई।                      आज श्रीमान् पीठासीन अधिकारी महोदय दौरे                      में हैं। पत्रावली आयंदा तारीख 26.11.19                      को पेश हो।</p>	
26.11.19	<p>पत्रावली आद्य पेश हुई। जमीन अधिपति द्वारा                      जमीन अधिपति द्वारा अफिलिगन की तस्वीर हेतु फर्द                      तलबाना पेश करने हेतु अफिलिगन-वाहन हेतु                      अफिलिगन फिल जाकर तिलतारीख 05-12-19                      को पेश हो।</p>	<p>रहायक कलेक्टर                      जसवन्तपुरा (जालौर)</p>
5.12.19	<p>पत्रावली आद्य पेश हुई।                      जमीन अधिपति द्वारा अफिलिगन की तस्वीर हेतु फर्द                      तलबाना पेश किया, जो रजिस्ट्रार फारी हो। तिलत                      वारि के तलबाना/पत्रावली तारीख 11.12.19 को                      पेश हो।</p>	
11/12/19	<p>पत्रावली पेश हुई।                      पत्रावली के अफिलिगन की तस्वीर हेतु फर्द                      तलबाना पेश करने हेतु अफिलिगन-वाहन हेतु                      अफिलिगन फिल जाकर तिलतारीख 11.12.19 को                      पेश हो।</p>	<p>रहायक कलेक्टर                      जसवन्तपुरा (जालौर)</p>

साजतीराम

बनाम ससपथ शा.प.जा.प.उर

केसम मुकदमा शा.प.उर २५(क) प्रकरण संख्या ३०/२०१७/

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहमकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
---------------	---------------------------------	--

साज हुकम कि जमीन द्वारा अपने खेत खाना  
सं. 527, 528, 529 व 530 तक पहुँचने  
के लिए खसरा सं. 531 जिसमें गोर-मुमकिन  
गोचर से मार्ग जारि प्रारंभ कराने  
द्वारा २५(क) राजस्थान कारतकारी अधिनियम  
१९५५ लागू किया है।

उपरोक्त रास्ता गोचर भूमि में ले जाने  
द्वारा २५(क) राजस्थान कारतकारी अधिनियम  
द्वारा स्तर पर उचित नहीं है। अतः तहसीलदार  
(जसवन्तपुर) से जालोर के जलालपुरा (क) व  
जलालपुरा (क) को स्वीकृति  
का मत भौता प्राप्त उचित है। अतः उपरोक्त  
प्रारंभ कराने द्वारा २५(क) राजस्थान  
कारतकारी अधिनियम १९५५ में उचित कर  
राहत दिया जाना संभव नहीं होने के  
कारण उपरोक्त प्रारंभ कर जारि किया  
जाता है।

जिल्ला कमल युगल होकर नकले  
कम हो व राजस्थान सरकार को

सहायक कलेक्टर  
जसवन्तपुरा (जालोर)

